संख्या- 22/2019-सा-3-409/दस-2019-308(9)/2000 टी0सी0

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी)प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 06 जून, 2019

विषयः- दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2017 की अवधि में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों में पेंशन पर हुये व्यय के प्रभाजन के फलस्वरूप द्वितीय किश्त रू0 200.00 करोड़ (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) का उत्तराखण्ड राज्य को भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन के वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-21/2019-सा-3-408/दस-2019- 308(9)/2000 टी0सी0, दिनांक 06 जून, 2019 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा उत्तराखण्ड सरकार को तदर्थ रूप से रू0 200.00 करोड़ (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर के माध्यम से अन्तर्राज्यीय समायोजन द्वारा किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2- कृपया तद्नुसार रू0 200 करोड़ (रूपयें दो सौ करोड़ मात्र) की धनराशि उत्तर प्रदेश राज्य के खाते से डेविट कर उत्तराखण्ड़ राज्य के खाते को

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रेडिट किये जाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग नागपुर को अन्तर्राज्यीय समायोजन एडवाईज (Inter Governmental Adjustment Advice) प्रेषित करने का कष्ट करें।

3- उपर्युक्त व्यय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने) के अधीन लेखाशीर्षक ''2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ-01-सिविल-800-अन्य व्यय-10-उ0प्र0 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत पेंशन दायित्वों के प्रभाजन के फलस्वरूप उत्तराखण्ड राज्य को देय राशि-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ'' के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नील रतन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या- 22/2019-सा-3-409(1)/दस-2019-308(9)/2000टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
3- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
4- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- निदेशक, पेंशन उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
(नील रतन कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in